

ग्रामीण सेवा शिविर-2025
कैम्प स्थल-

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO.- 2026/215

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खण्डप व भू.अ. खण्डप की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदडी की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदडी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जालमपुरा	691	हकाराम पुत्र तेजाराम	हरीराम पुत्र तेजाराम

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ग्रा.से.शिविर/2025/ 220
प्रतिलिपि -

दिनांक:- 13.03.2026

1. तहसीलदार समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी हरीराम पुत्र तेजाराम निवासी जालमपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)